



बी.बी.पी.एस. के संचालन के संबंध में आर.बी.आई. की स्वीकृति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- (RBI) द्वारा स्पाइस डिजिटल लिमिटेड (Spice Digital Limited (SDL) को बी.बी.पी.एस. के संबंध में अंतिम लाइसेंस प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत अब एस.डी.एल. कंपनी को भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System - BBPS) में भारत बिल भुगतान ऑपरेटिंग यूनिट (Bharat Bill Payment Operating Unit -BBPOU) के रूप में बिल भुगतान की प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति मिल गई है।

बी.बी.पी.एस. क्या है?

- भारत बिल भुगतान प्रणाली (Bharat Bill Payment System - BBPS) भारतीय रिज़र्व बैंक की एक अवधारणात्मक प्रणाली है, जिसका संचालन राष्ट्रीय भुगतान नगिम (National Payments Corporation of India - NPCI) द्वारा किया जाता है।
- यह प्रणाली सभी प्रकार के बिलों के लिये एक अंतिम भुगतान प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करती है।
- इस प्रकार यह देशभर के ग्राहकों को भुगतान अंतरण, विश्वसनीयता और सुरक्षा के साथ-साथ एक बेहतर एवं सुलभ बिल भुगतान सेवा उपलब्ध कराती है।
- बी.बी.पी.एस. के माध्यम से नकदी, चेक हस्तांतरण और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान किया जा सकता है।
- ऑपरेटिंग इकाइयों के रूप में कार्य करने वाले एग्रीगेटर्स (aggregators) तथा बैंक ग्राहकों के लिये इन लेन-देनों को पूरा करने का कार्य करते हैं।

एन.पी.सी.आई. क्या है?

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नगिम (National Payments Corporation of India - NPCI) भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणाली (retail payments system) के लिये एक अम्बरेला संगठन (umbrella organization) है।
- इसे भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय बैंक संघ (Indian Banks' Association - IBA) के मार्गदर्शन एवं समर्थन के साथ स्थापित किया गया था।
- वर्तमान में एन.पी.सी.आई. के पास दस प्रमोटर बैंक हैं।